उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– ८५० / ix-1 / 79(2016) / 2017टी.सी.
देहरादून, दिनांक 20 नवम्बर,2017

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 138 सपठित धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या–627 / ix-1 / 79(2016) / 2017 टी.सी. दिनांक 07 सितम्बर, 2017 के अनुसरण में उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष के प्रयोजनार्थ कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 है।
		(2)	यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषायें	2.		जब तक किसी सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (क) "कोष" से "उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष" अभिप्रेत है; (ख) "वित्तीय वर्ष" से एक कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है; (ग) "अधिनियम" से मोटरयान अधिनियम, 1988 अभिप्रेत है; (घ) "राज्य" से "उत्तराखण्ड राज्य" अभिप्रेत है।
सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना और उपभोग के सम्बन्ध में	3.	(1)	उत्तराखण्ड में सड़क सुरक्षा के सुदृढीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक कोष की स्थापना की जायेगी, जिसे "उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष" ज्ञात नाम से जाना जायेगा।
		(2)	इस कोष में जमा धनराशि का उपयोग नियम 10 में विनिर्दिष्ट कार्यों हेतु किया जाएगा।
कोष का लेखा वर्गीकरण एवं वित्तीय प्रक्रिया	4.	(1)	एक पृथक उपशीर्षक 03–मोटर परिवहन आरक्षित निधि (उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष) खोलकर इस कोष को स्थापित किया जायेगा जो कि लेखाशीर्षक 8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां–00–200–अन्य निधियां–03–मोटर परिवहन आरक्षित निधि (उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष)–00 के अधीन होगा।

		(2)	कोष से व्यय हेतु आवश्यक प्राविधान परिवहन विभाग की अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक "3055–सड़क परिवहन,–00–001–निदेशन एवं प्रशासन, 09–उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण–00 –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" तथा 3055–सड़क परिवहन,–00–001–निदेशन एवं प्रशासन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01– उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के अन्तर्गत किया जायेगा। होने वाले व्यय को एक ही समय उपर्युक्त कार्यात्मक शीर्ष के नामे डाला जायेगा और उस व्यय को कार्यात्मक शीर्ष भाग–4 के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जायेगा तथा इसे उत्तराखण्ड सडक सुरक्षा कोष से पूर्ण होने वाली धनराशि में भी प्रदर्शित किया जायेगा।
		(3)	वर्ष के अन्त में उक्त व्यय की गयी धनराशि को नधि के शीर्षक संख्या–8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां–00–200–अन्य निधियां–03– मोटर परिवहन आरक्षित (उत्तराखण्ड प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष) के व्यय के पक्ष में पुस्तांकित किया जायेगा।
कोष के स्रोत	5.	(1)	पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रशमन शुल्क से प्राप्त सकल धनराशि समेकित निधि के निम्नलिखित लेखाशीर्ष में जमा करायी जाएगी:– (एक) 0041–वाहन कर 00– 101–भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां 02–प्रशमन शुल्क से प्राप्तियां– 01–परिवहन विभाग द्वारा वसूली गयी धनराशि (दो) 0041–वाहन कर 00– 101–भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां 02–प्रशमन शुल्क से प्राप्तियां– 02– पुलिस (यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस) द्वारा वसूली गयी धनराशि (तीन) 0041–वाहन कर 00– 101– भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां 03–जुर्माना आदि से प्राप्तियां
		(2)	उपरोक्त कार्यवाही से किसी एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि की 25 % धनराशि नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान कराकर जमा करायी जायेगी।
		(3)	यदि कोई वित्तीय अंशदान उत्तराखण्ड सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कोष में किया जाता है, तो वह भी इस कोष में जमा कराया

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>जायेगा।</td></tr>
<tr><td>प्रादेशिक सीमा</td><td>6.</td><td></td><td>ऐसे कार्य जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य है, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में किये जायेंगे।</td></tr>
<tr><td>कोष की प्रबन्धन समिति</td><td>7.</td><td>(1)</td><td>इस कोष के लिये परिवहन विभाग प्रशासनिक विभाग होगा तथा यह कोष निम्नवत् गठित समिति द्वारा संचालित किया जायेगाः–
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>पदनाम</th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td>मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार;</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रमुख सचिव, विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>9</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>10</td><td>पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>11</td><td>परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य /सचिव</td></tr>
<tr><td>12</td><td>सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य।</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(2)</td><td>समिति "कोष की प्रबन्ध समिति" कही जायेगी तथा समिति के सभी सदस्य पदेन होंगे।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(3)</td><td>एक वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की न्यूनतम एक बैठक अवश्य होगी।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(4)</td><td>कोष की प्रबन्धन समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) 06 सदस्यों से होगी।</td></tr>
<tr><td>कोष की प्रबन्धन समिति के अधिकार और कर्तव्य</td><td>8.</td><td>(1)</td><td>समिति कोष से वित्त पोषित योजनाओं का चयन और उनका अनुमोदन करेगी।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(2)</td><td>समिति स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(3)</td><td>समिति नियमावली के अनुसार कोष के लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करेगी।</td></tr>
<tr><td>कोष से वित्त पोषित होने वाली</td><td>9.</td><td></td><td>कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्तें निम्नवत् होंगी :–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(क)</td><td>कोष की प्रबन्ध समिति द्वारा योजनाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा</td></tr>
</table>

योजनाओं की शर्तें			समय–समय पर निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा।
		(ख)	कोष की धनराशि से केवल ऐसी योजनायें/परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जायेगा, जिन्हें केवल एक बार में ही पूरा किया जा सके।
		(ग)	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सामान्य कार्मिकों के वेतन तथा स्थापना/कार्यालय व्यय का भुगतान कोष की प्रबन्धन समिति के अनुमोदनोंपरान्त कोष से किया जायेगा।
		(घ)	कोष से सम्बन्धित किसी भी धनराशि का विनिधान किसी भी दशा में ब्याज अर्जित करने के लिये सावधि जमा योजना में रखने अथवा ऋण पर देने के उद्देश्य से नहीं किया जायेगा।
		(ङ)	कोष से स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत की गयी है।
कोष द्वारा वित्त पोषित योजनायें/कार्य	10.		कोष द्वारा निम्नलिखित योजनायें/कार्य संचालित हो सकेगें :–
		(क)	समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और नगरीय मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित संचरण एवं मार्ग उपभोक्ताओं के सुरक्षित संचालन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना, अर्थातः– (एक) दुर्घटना के मामलों में जनसामान्य की सुरक्षा एवं मृत्यु की दर में कमी हेतु त्वरित आवश्यकता के अनिवार्य/नियामक चेतावनी एवं सूचनात्मक सड़क संकेत के बोर्ड, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के ऐसे सांकेतिक बोर्ड या सिग्नल्स का लगाया जाना/रख–रखाव, किया जाना जहां कि अन्य विभागों द्वारा ऐसे सांकेतिक बोर्ड या सिग्नल्स का लगाया जाना/रख–रखाव किया जाना सम्भव न हों; (दो) दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन एवं उनके लिये सुधार के उपाय करना; (तीन) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पंहुचाने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना; जहॉ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किया जाना संभव न हो; (चार) पुलिस विभाग के पास उपलब्ध क्रेनों के रख–रखाव एवं उपयोग हेतु आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना;यदि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किया जाना संभव न हा; (पांच) यातायात के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं प्रवर्तन हेतु यातायात सूचना प्रबन्धन नियंत्रण केन्द्र, कॉल सेन्टर, मॉनिटरिंग यूनिट का निर्माण, संचालन एवं रख–रखाव, जिसमें आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का क्रय, इन्स्टॉलेशन एवं रख–रखाव भी सम्मिलित है।
		(ख)	परिवहन आयुक्त कार्यालय में गठित लीड एजेंसी को सुदृढ़ किये जाने हेतु आवश्यक उपकरणों/फर्नीचर आदि का क्रय एवं रख–रखाव तथा लीड एजेंसी के दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से उतनी संख्या में सहायकों की व्यवस्था करना, जितना आवश्यक हो एवं परामर्शी सेवायें प्राप्त करना;
		(ग)	सड़क दुर्घटना के आंकडे एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना। इस हेतु सड़क दुर्घटना के आंकडों की रिपोर्टिंग, विश्लेषण

			तथा नियन्त्रण हेतु ''सड़क दुर्घटना डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम'' लागू करना ;
		(घ)	ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ करने हेतु परिवहन कार्यालयों / उपसंभागों में सिमुलेटर्स, आटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव करना;
		(ङ)	समय-समय पर मोटर वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से धनराशि की प्रतिपूर्ति करना;
		(च)	व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस जांच हेतु परिवहन कार्यालयों / उपसंभागों में वाहन निरीक्षण पिट एवं आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव करना;
		(छ)	सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नियन्त्रण एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु उपकरण / संयंत्रों यथा-वाहनों, इन्टरसेप्टर वाहनों, एल्कोमीटर, स्पीड रडार गन, प्रचार वाहनों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का क्रय, संचालन एवं रख-रखाव करना;
		(ज)	राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के निर्माण के उपरान्त थर्ड पार्टी ऑडिट के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिटर की सेवायें प्राप्त करना।
		(झ)	यातायात नियमों की जानकारी देना एवं जनसामान्य में इस हेतु जागरूकता पैदा करना। यातायात शिक्षा सम्बन्धित कार्य जो निम्नवत होंगे :- (एक) अन्य विभागों के सहयोग से अथवा अन्यथा यातायात शिक्षा पार्कों की स्थापना करना; (दो) जनसामान्य में यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार करना; (तीन) बच्चों के बीच यातायात नियमों की जानकारी कराने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना; (चार) यातायात प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कराना; (पांच) यातायात शिक्षा से सम्बन्धित उपस्कर का क्रय एवं उनका रख-रखाव; (छः) आडियो-वीडियो उपस्करों / कम्प्यूटर एवं अन्य उपसाधन से युक्त यातायात प्रचार-प्रसार वाहन क्रय करना और जनसामान्य को यातायात शिक्षा देने हेतु उनका उपयोग करना; (सात) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रदशर्नियों का आयोजन करना; (आठ) ''यातायात सप्ताह'', ''यातायात माह'' , यातायात त्रैमास'' तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे यातायात सेमिनार, बैठकों, रैली, प्रतियोगितायें एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम आदि उत्तराखण्ड के जिलों में आयोजित कराना; (नौ) यातायात सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तर के परिवहन, पुलिस, शिक्षा, नगर विकास विभाग आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन; (दस) प्रदेश के बडे महानगरों में यातायात व्यवस्था को सुधारने

			और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अध्ययन कराया जाना।
		(ण)	सुदृढ सड़क सुरक्षा का उपाय एवं यातायात प्रबन्धक के कोई अन्य कार्य जो कोष की प्रबन्धन समिति द्वारा उपयुक्त एवं लाभकारी समझा जाये।
कोष की प्रबन्धन समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	11.	(1)	लीड एजेंसी/परिवहन आयुक्त जिलों में परिवहन, पुलिस लोक निर्माण विभाग आदि के फील्ड ऑफीसर से प्राप्त अथवा स्वप्रेरणा से तैयार किये गये प्रस्ताव/योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें कोष प्रबन्धन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।
		(2)	कोष प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिये जाने के उपरान्त वित्त पोषण के लिये औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों परिवहन विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।
कोष से वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व	12.	(1)	योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों का समन्वय परिवहन आयुक्त द्वारा किया जायेगा। कोष से वित्त पोषित उपयोगी उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत आदि का सही–सही क्रियान्वयन कराने व नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा।
		(2)	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। वे योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। योजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी का होगा ;
		(3)	अनुमोदित कार्यों से सम्बन्धित क्रय के मामलों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय–समय पर जारी अन्य शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
कोष का अनुरक्षण और सम्परीक्षा	13.	(1)	परिवहन आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों एवं कोषागार नियमों के अनुसार कोष से उपगत व्यय का उचित लेखा–जोखा रखा जायेगा तथा उसका पुनर्मिलान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों से किया जायेगा। वार्षिक लेखाबन्दी से पूर्व पुनर्मिलान कार्य सम्पादित किये जाने के साथ ही समायोजनाओं से सम्बन्धित आदेश समसामयिक रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
		(2)	कोष में अन्तरित धनराशि में से वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष/अनुपयोजित धन का राज्य के समेकित कोष में समर्पण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था होगी कि राजस्व लेखे से लोक लेखे की कोष को जो धनराशि अन्तरित की जायेगी, उस धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। अनुपयोजित होने की दशा में वह धनराशि कोष में बची रहेगी। ऐसी धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में समिर्पित नहीं किया जायेगा।
		(3)	कोष की धनराशि को किसी परियोजना में विनिवेश नहीं किया जायेगा वरन नियम 10 में उल्लिखित उपयोगी कार्य कराये जायेंगे।

		(4)	इन लेखों की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा की जायेगी।
		(5)	कोष से आय तथा कोष से किये गये व्यय का विस्तृत विवरण परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को समय–समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव,

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 840 /ix-1/79(2016)/2017T.C. dated Dehradun NOV..20., 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 840 /ix-1/79(2016)/2017T.C.
Dehradun, Dated : 20 Novmber, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by section 138 read with subsection (1) of the section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) and in accordance with the previous notification no. 627/ix-1/79(2016)/2017T.C. dated 07 September, 2017, the Governor is pleased to make the following rules for facilitating the working of Uttarakhand Road Sefety Fund.

THE UTTARAKHAND ROAD SAFETY FUND RULES, 2017

Short title and commencement	1-	(1) These rules may be called the Uttarakhand Road Safety Fund Rules, 2017. (2) It shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Definitions	2-	In these rules, unless the context otherwise requires- (a) "Fund" means the Uttarakhand Road Safety Fund; (b) "Financial Year" means a period of twelve months commencing on the first day of April of a calendar year. (c) "Act" means the Motor Vehicle Act, 1988. (d) "State" means the State of Uttarakhand .
Establishment of the Road Safety Fund and utilization thereof	3-	(1) The Fund shall be established by the State Government with the object of strengthening road safety and implementation of road safety measures in the Uttarakhand to be known as the Uttarakhand Road Safety Fund. (2) The amount credited to the Fund shall be utilize for the works specified in Rule 10.
Accounting and classification of Fund and Financial Procedure	4-	(1) The Fund shall be established by opening one separate subhead "03-Moter Vehicle Security fund (Uttarakhand road safety fund)"under Head of Account "8235-Samanya tatha anya arakshit nidhiyan-00 200-Anya nidhiyan-03-Moter Vehicle Security Fund (Uttarakhand road safty fund) (2) For expenditure from the Fund on the above noted objectives, the necessary provisions shall be made on the Transport Department's Grant No.-24 -3055-Sadak Parivahan,00-001-Nideshan Avam Prashashan,09 Uttarakhand Sadak Suraksha Kosh ko Antran-00,20-sahayak Anudan/Anshdan/raj sahayata and 3055-Sadak Parivahan-00-001-Nideshan Avam Prashashan-01- Kender Puronidhanit,01- Uttarakhand Road Safety Fund Antran,00-20-sahayak Anudan/Anshdan/raj sahayata The expenditure shall be debited to the above working head and the expenditure shall be shown under the working Head Part-4 and also in the amount completed from Uttarakhand Road Safety Fund. (3) At the end of the year, the above spent amount shall be booked in the debit side of the head-"8235-Samanaya tatha anya arakshit nidhiyan-00—200 anya nidhiya 03- Moter Vehicle

		Security Fund (Uttarakhand road safty fund)
Source of Fund	5-	(1) The entire amount collected by the Police and Transport Department by compounding under the Motor Vehicle Act, 1988 shall be deposited in the following account head- (i) 0041 Vahan Kar- 00- 101-Bartiya Motoryan Adhiniyam ke antargat praptiyan- 02- prashman Shulk se praptiyan- 01-Parivahan Vebhag dwara vasool ke gayee dhanrashi- (ii) 0041- Vahan Kar- 00- 101-Bartiya Motoryan Adhiniyam ke antargat praptiyan- 02- prashman Shulk se praptiyan 01-Police (Traffic/Civil) dwara vasooli gayee dhanrashi- (iii) 0041 Vahan Kar- 00- 101 Bhartiya Motoryan Adhiniyam ke antargat praptiyan- 03 Jurmane aadi se praptiya. (2) 25 % of the amount which is collected in any financial year by compounding as above, shall be deposited in the next financial year, by Budget provision as per rule. (3) If any financial contribution is made to the Fund by the Uttarakhand Government or the Government of India it shall also be deposited in the Fund.
Territorial limit	6-	Such works as are admissible under these rules shall be done in the whole of Uttarakhand .
Management Committee of the Fund	7-	(1) The Administrative Department for the Fund shall be the Transport Department and the Fund shall be operated by the committee constituted as follows-

1.	the Chief Secretary, Government of Uttarakhand ;	Chairman
2.	the Principal Secretary/Secretary Home, Department of Uttarakhand ;	Member
3.	the Principal Secretary/Secretary, Transport Department of Uttarakhand;	Member
4.	the Principal Secretary/Secretary, Medical and Health Department, Uttarakhand;	Member
5.	the Principal Secretary/Secretary, Finance Department, Uttarakhand;	Member
6.	the Principal Secretary and LR Judicial Department, Uttarakhand;	Member
7.	the Principal Secretary/Secretary, Public Works Department, Uttarakhand;	Member
8.	the Principal Secretary/Secretary, Nagar Vikas Department, Uttarakhand;	Member
9.	the Principal Secretary/Secretary, Basic	Member

		Education Department, Uttarakhand; 10. the Director General of Police, Uttarakhand; — Member 11. the Transport Commissioner, Uttarakhand; — Member/ Secretary 12. the Member nominated by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. — Member (2) This committee shall be called "The Management Committee of the Fund" and all the members of the Committee shall be Ex-officio. (3) The Management Committee of the Fund shall meet at least once in every Financial Year. (4) The quorum of a sitting of the Management Committee of the Fund shall be of six members.
Rights and duties of the Management Committee of the Fund	8-	(1) The Committee shall select and approve the schemes to be financed from the fund. (2) The Committee shall monitor the physical and financial progress of the sanctioned schemes. (3) The Committee shall ensure maintenance of accounts of the Fund in accordance with the rules.
Conditions for the schemes to be financed from the Fund	9-	The conditions for the schemes to be financed from the Fund shall be as follows:- (a) Selection of the schemes shall be made by the Management Committee of the fund under the norms as may be determined from time to time by the State Government; (b) Only such schemes/plans shall be financed from the amount of the Fund which may be completed in only one stretch; (c) Payment of the salaries of the general personnel and establishment/office expenditure of road safety cell shall be made from the Fund with approval of the management committee of the Fund; (d) In no circumstances any amount from this Fund shall be invested under fixed deposit schemes or for giving loans for earning interest; (e) The amount sanctioned from the Fund shall be utilized for the same purpose for which it has been sanctioned.
Scheme/Work to be Financed with the Fund.	10-	The following schemes/works may be financed with the Fund:- **(a)** to take necessary steps for safe plying of vehicles and secure movment of road users on all National Highways, State Highways and Urban Roads, namely :- (i) to install mandatory/regulatory, cautionary and informative road signboards, various traffic signals etc. including their maintenance as per immediate local needs, in the interest of public safety and to reduce mortality in case of accidents, where it is not possible for other departments to install/maintain such cautionary signboards and traffic signals; (ii) to identify accident prone places and take corrective measures for them; (iii) to reimburse expenditure incurred on the transportation of the injured persons in road accidents,

		to hospitals, where it is not possible to reimburse under any other scheme; (iv) to provide additional money to the Police Department for the maintenance and use of cranes available with them, if it is not possible to reimburse under any other scheme; (v) to construct, operate and maintain Traffic Information Management Control Centre, Call Centre, Monitoring Unit including purchase, installation and maintenance of necessary infrastructure, hardware, software for effective monitoring and enforcement Of traffic;
		(b) to purchase and maintain necessary tools/furniture in the Transport Commissioner Office for strengthening the Lead Agency and arrange such number of assistants as are necessary for disposal of day to day work of Lead Agency and to acquire advisory services from out source;
		(c) to collect and analyse road accident data and to set up "Road Accident Data Base Management System" for reporting and making analysis of road accidents data and controlling road accidents;
		(d) to arrange, operate and maintain semulator, automated driving test tracks and other necessary tools in transport offices/sub regions for making effective motor driving licensing system ;
		(e) to reimburse time to time money for imparting training to motor vehicle drivers;
		(f) to set up, operate and maintain vehicle inspection pits and Automated Testing Lane in transport offices/sub regions for checking fitness of commercial vehicles;
		(g) to purchase, operate and maintain instruments/tools such as vans, interceptor vans, alco meter, speed radar gun, publicity vans and other necessary equipments for effective enforcement to prevent and control road accidents;
		(h) to obtain Road Safety Auditor services for third party audit after construction of National Highways/State Highways and other roads;
		(i) to educate and create sensitivety in public about traffic rules. Work related to traffic education shall be. - (i) to establish in collaboration with other departments or otherwise the traffic education parks; (ii) to make wide publicity of traffic rules in public; (iii) to organize various competitions amongst youngsters for imparting knowledge of traffic rules; (iv) to prepare publicity materials related to traffic management which includes small feature films relating to road safety advertisements; (v) to purchase and maintain equipments related to traffic education; (vi) to purchase publicity vans equipped with audio-video equipments/computer and other accessories and utilize them to impart traffic education to public at large; (vii) to organize of road safety exhibitions; (viii) to organize "Traffic Weeks", "Traffic Months", "Traffic

			Quarters" and other activities such as traffic seminars, meetings, rallies, competitions and other related programmes etc. in the districts of Uttarakhand ; (ix) to organize traffic related training for different ranks of transport, police, education and Nagar Vikas officers/staff; (x) to conduct studies to improve Traffic Management for controlling road accidents in big cities of the State.
		(j)	to do any other work for strengthening road safety measures and traffic management which the Management Committee of the fund deems proper and useful.
Procedure for submission of proposals to the Management Committee of the Fund	11-	(1)	The Lead Agency/The Transport Commissioner shall put up proposals/ schemes received from the field officers of transport, police, public works departments in districts or prepare suo-moto before the Management Committee of the Fund after due examination.
		(2)	Formal administrative and financial sanction shall be issued by the Transport Department for financing the schemes/projects after approval thereof from the Management Committee of the Fund.
Responsibilities for execution of schemes financed from the Fund	12-	(1)	The Transport Commissioner shall co-ordinate the necessary work related to the successful execution of schemes. The Head of Department concerned shall be responsible for implementing and regular monitoring of construction, maintenance and repairs of useful equipments financed from the Fund.
		(2)	Heads of the departments concerned shall be responsible for successful implementation of schemes within the area of their respective jurisdiction. They shall supervise, monitor and review physical and financial progress of the schemes. The senior most district level officer of respective department shall also be responsible for issuing completion certificate of the scheme.
		(3)	Uttarakhand Procurement Rules 2017 and other Government Orders issued from time to time shall be complied with in the cases of purchases with respect to the approved works.
Maintenance and Audit of Fund.	13-	(1)	Finance Controller in the Transport Commissioner office shall properly maintain accounts of the expenditure incurred from the Fund in accordance with the provisions of Financial Hand Book and the Treasury Rules and accounts be reconciled with the records of the office of Accountant General (Accounts and Entitlements) Uttarakhand, Dehradun Before the closer of annual accounts, performance of reconcile work and making available the orders relating to adjustments to the Accountant General (Accounts and Entitlements) Uttarakhand, Dehradun shall be done simultaneously.
		(2)	With regard to the surrender of the balance/unutilized money left in the fund to the Consolidated Fund of the State from the amount transferred to the Fund at the end of the Financial Year, the arrangement shall be that such expenditure be

		incurred as per rules from the amount transferred from Revenue Account to the Public Account of the Fund. The amount shall remain in the Fund in case it is unutilized. Such amount shall not be surrendered at the end of the Financial Year. (3) The amount of the Fund shall not be invested in any scheme rather it shall be utilized for the works mentioned in rule-10; (4) These accounts shall be audited by the Accountant General (Audit), Uttarakhand, Dehradun. (5) Detailed report of income of, and the expenditure from, the Fund shall be submitted by Transport Commissioner, Uttarakhand to the State Government from time to time and as may be required.

By Order,

(D. Senthil Pandiyan)
Secretary.